

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17052026-272640
SG-DL-E-17052026-272640

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	दिल्ली, रविवार, मई 17, 2026/वैशाख 27, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 49
No. 134]	DELHI, SUNDAY, MAY 17, 2026/VAISAKHA 27, 1948	[N. C. T. D. No. 49

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 17 मई, 2026

फा. सं. 3(22)/ वित्त(राज0-I)/ डी एस-I/467.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न चौथी अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन :

1. चौथी अनुसूची की तालिका में क्रम संख्या 14 की प्रविष्टि के सामने कर की दर से संबंधित कॉलम में "विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)" से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“

क्र०सं०	माल का विवरण	कर की दर
14	विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)	7 पैसा रुपये में

”

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से छः माह की अवधि के लिए ही प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त-1)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th May, 2026

F. No. 3(22)/Fin(Rev-I)/ DS-I/467.— Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment(s) in the Fourth Schedule appended to the said Act, namely:-

AMENDMENT

1. In the Fourth Schedule, in the Table, against Entry at Serial No. 14 relating to "Aviation Turbine Fuel (ATF)", in the column pertaining to rate of tax:-

for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“

Sl.No.	Description of Goods	Rate of Tax
14.	Aviation Turbine Fuel (ATF)	7 paisa in the rupee

”

This notification shall remain in force for a period of six months commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.-I (FINANCE)